

कार्यालय उप वन संरक्षक, वन भवन, सांवली रोड, सीकर

क्रमांक एफ ()एफसीए /उवसंसी/2017-18/ 423 दिनांक 5.1.18

निमित्त:- अतिरिक्त प्रधान मुख्य वन संरक्षक,
अरावली भवन,
जयपुर।

विषय:- प्रपोज्ड डायवर्जन ऑफ 6.35 है0 फोरेस्ट लेण्ड फोर रिन्युअल, वाईडनिंग
एण्ड स्ट्रेथनिंग ऑफ सीकर-हर्ष रोड (ओडीआर-04) किमी. 8/750 टू
15/100 इन हर्षनाथ पीएफ विलेज आंतरी तहसील धोद, डिस्ट्रिक्ट
सीकर (राज.)

(प्रपोजल नं. FP/RJ/ROAD/29601/2017)

संदर्भ:- अतिरिक्त प्रधान मुख्य वन संरक्षक, प्रोटेक्शन एवं नोडल
अधिकारी, एफसीए, राजस्थान, जयपुर का पत्रांक 4529-31
दिनांक 18.12.17 एवं आपका पत्रांक 12004 दिनांक 27.12.17

महोदय,

उपरोक्त विषयान्तर्गत निवेदन है कि आलौच्य प्रकरण में प्रधान मुख्य वन संरक्षक (हॉफ) राजस्थान, जयपुर के आदेश क्रमांक एफ 14 (जी) 2013/ पार्ट-II/ एफसीए/ प्रमुवसं/2969-3084 दिनांक 04.09.2017 द्वारा गठित कमेटी की सिफारिश के आधार पर दिनांक 28.12.2017 को श्रीमान् की अध्यक्षता में आयोजित बैठक में कमेटी सदस्यों द्वारा प्रस्तावित सड़क निर्माण में पहाड़ की कटिंग से निकलने वाली सामग्री चिनाई पत्थर/मलबा (मक) वन उपज, खनिज रॉयल्टी एवं डी.एम.एफ.टी. का मूल्य निर्धारित किया गया। जिसके संबंध में प्रयोक्ता विभाग अधिशाषी अभियन्ता, सार्वजनिक निर्माण विभाग खण्ड- सीकर को इस कार्यालय द्वारा अवगत कराया जाने पर अधिशाषी अभियन्ता, सार्वजनिक निर्माण विभाग, खण्ड- सीकर के पत्रांक 8312 दिनांक 04.01.2018 द्वारा प्रकरण में कमेटी के द्वारा लिये गये निर्णय की प्रति, मक की राशि वन उपज, खनिज रॉयल्टी एवं डी.एम.एफ.टी.जमा करवाने हेतु अण्डर टेकिंग एवं मक डिस्पोजल योजना तैयार कर प्रस्तुत की गई है। जो संलग्न कर आवश्यक कार्यवाही हेतु प्रस्तुत है। कृपया प्रकरण को अग्रेषित करने का कष्ट करे।

संलग्न:-उपरोक्तानुसार

भवदीय

(राजेन्द्र कुमार हुड्डा)
उप वन संरक्षक,
सीकर

क्रमांक : सम/

दिनांक

प्रतिलिपि:- अतिरिक्त प्रधान मुख्य वन संरक्षक, प्रोटेक्शन एवं नोडल अधिकारी, एफसीए, राजस्थान, जयपुर को को उकने पत्रांक 4530-31 दिनांक 18.12.2017 के क्रम में सूचनार्थ एवं आवश्यक कार्यवाही हेतु प्रस्तुत है।

प्रतिलिपि:- अधिशाषी अभियन्ता, सार्वजनिक निर्माण विभाग खण्ड-सीकर को उनके पत्रांक 8312 दिनांक 04.01.2018 के क्रम में सूचनार्थ एवं आवश्यक कार्यवाही हेतु प्रेषित है।

(राजेन्द्र कुमार हुड्डा)
उप वन संरक्षक,
सीकर